## न्यायाः—विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) समक्ष — वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष सत्र प्रकरण क0 101/2012 संस्थापन दिनांक—20—07—2012

## // निर्णय // (आज दिनांक 01-08-2017 को घोषित किया गया)

- 01. आरोपी के द्वारा द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विल की राशि बकाया होने से उसे दिनांक 19.05.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था जिसे चैकिंग के समय आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोडकर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 का आरोप लगाया है।
- 02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण में किनष्डयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता रामदीन पुत्र तुलसीराम (परिवाद के उन्मान में आरोपी का नाम श्रीराम शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा) निवासी ग्राम चन्दहारा को विद्युत कनेक्शन कमांक 72–09–120326 डी.एल. दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए

44,983 /— होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 04.05.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात् दिनांक 19.05.2012 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 29.05.2012 को कनिष्ठयंत्री चन्द्रशेखर, सुरेश तोमर व मनीष के साथ आरोपी के उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पया कि आरोपी ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे दो लाल रंग के तार जोडकर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाया गया। जिस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी चंन्द्रशेखर प0सा0 1, सुरेन्द्र सिंह तोमर प0सा0 2 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

## 04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है :

- 01. क्या आरोपी परिवादी कम्पनी की सिरोपरी लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहा था?
- 02. क्या आरोपी ने परिवादी कम्पनी को 44983/- रूपए की आर्थिक क्षति कारित की?
- 03. दण्डादेश यदि कोई हो?

## //साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित है, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05. परिवादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि उपभोक्ता रामदीन पुत्र तुलसीराम को विद्युत कनेक्शन कमांक 72—09—120326 डी.एल. दिया गया था और उपभोक्ता के ऊपर विद्युत बिल के रूप में 44,983/— रूपए की राशि बकाया थी और इसी कारण उपभोक्ता को सूचना दी गई थी, किन्तु राशि न जमा करने के कारण उक्त कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया और जब दिनांक 29.05. 2012 को अधिकारी चन्द्रशेखर अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने गए तो अभियुक्त मण्डल की लाइन से दो लाल रंग के तार जोड़कर विद्युत का उपयोग कर रहा था।

- 06. परिवादी की ओर से साक्षी चंन्द्रशेखर सिंह प0सा0 1 एवं सुरेशसिंह तोमर प0सा0 2 का परीक्षण कराया गया है।
- 07. साक्षी सुरेशसिंह प0सा0 2 लाइन हेल्पर का अपने कथनों में कहना रह है कि जब वह जे.ई. मनीष शर्मा के साथ घटना दिनांक को ग्राम चंदहारा में पहुँचा था तो आरोपी का कनेक्शन जो पूर्व से विच्छेदित था, किन्तु आरोपी के द्वारा कनेक्शन को मण्डल की एल.टी. लाइन से पुनः सीधे तार जोडकर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा था जिसका मौके पर प्र.पी. 3 का पंचनामा बनाया था। साक्षी चंन्द्रशेखर सिंह प0सा0 1 ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 04. 05.2012 को आरोपी श्रीराम पर 44,983/— रूप्ए का बिल बकाया था, जिसका नोटिस हेल्पर सुरेश तोमर को दिया था तथा सात दिन में बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन विच्छेदित करने के लिए निर्देशित किया था और कनेक्शन विच्छेदित कर दिया था किन्तु निरीक्षण के दौरान मौके पर आरोपी अवैध तार डालकर विद्युत उपयोग करते हुए पाया था।
- 08. बचाव पक्ष की ओर से यह बचाव लिया गया है कि आरोपी के नाम से न तो कोई

विद्युत कनेक्शन लिया गया है और न ही घटना दिनांक को आरोपी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया है।

- 09. बचाव पक्ष की ओर से लिये गए आधार के संबंध में यदि परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया जाए तो परिवाद में स्पष्टतः उपभोक्ता रामदीन पुत्र तुलसीराम को कनेक्शन कमांक 72–09–120326 डी.एल. दिया जाना दर्शाया गया है, बकाया राशि जमा न होने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना दर्शाया गया है और उसी स्थान पर पुनः विद्युत का उपयोग करते हुए आरोपी को पाये जाने के आधार लिए गए है। जबिक यदि इस संबंध में न्यायालय में परीक्षित कराए साक्षी चन्द्रशेखर सिंह प0सा0 1 एवं सुरेशसिंह तोमर प0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों के द्वारा आरोपी को ही उपभोक्ता होना दर्शाया है और आरोपी पर ही विद्युत बिल की बकाया सिंश होना दर्शाया है।
- 10. परिवादपत्र में उपभोक्ता रामदीन को दर्शाया है, जबिक प्रकरण आरोपी श्रीराम शर्मा के विरुद्ध तैयार किया गया है। आरोपी उपभोक्ता का कौन है इसका कोई उल्लेख प्र.पी. 3 के पंचनामा में नहीं है। आरोपी श्रीराम शर्मा मकान का आधिपत्यधारी है, जबिक उपभोक्ता कोई अन्य है ऐसा भी आधार परिवादी की ओर से न तो अपने परिवाद में लिया गया है और न ही स्पष्टीकरण साक्षियों ने अपने कथनों में किया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादपत्र में केवल पूर्व बकाया राशि 44983 / रूपए के आधार पर प्र.पी. 1 व 2 के नोटिस दिए गए है। आरोपी ने कोई विद्युत ऊर्जा की चोरी की है न तो ऐसा कोई गणनापत्रक तैयार किया गया है और न ही साक्षियों का ऐसा कहना रहा है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादपत्र के अनुसार उपभोक्ता समदीन पुत्र तुलसीराम है, जबिक प्र.पी. 1 व 2 का नोटिस श्रीराम शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा को दिया गया है। उक्त नोटिस श्रीराम को क्यों दिया गया इसका कोई उल्लेख प्र.पी. 1 व 2 के पंचनामा में नहीं है।
- 11. विद्युत ऊर्जा की चोरी के प्रकरणों में सामान्य रूप से मोके पर बनाया गया पंचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। प्रकरण में मौके पर प्र.पी. 3 का पंचनामा बनाए जाने के आधार लिए है। प्र.पी.

3 के पंचनामे में सर्विस क्मांक 72—09—12326 पर बकाया होने से उपभोक्ता का कनेक्शन काटने संबंधी नोट अंकित है, किन्तु इस प्रकरण में किसी भी स्थान पर उपभोक्ता के रूप में रामदीन पुत्र तुलसीराम का उल्लेख नहीं है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्युत कनेक्शन क्मांक के संबंध में पंचनामा एवं परिवादपत्र में भिन्नता है। अतः प्रकरण में आरोपी श्रीराम को आरोपी बनाया गया है, जबिक उपभोक्ता रामदीन को आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रकरण में जिस प्रकार के पंचनामा एवं साक्षियों के कथनों में व परिवादपत्र में भिन्नता है उससे गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादी कम्पनी की ओर से आरोपी को परीक्षण किए गए स्थान का आधिपत्यधारी होना नहीं दर्शाया गया है। उपभोक्ता से आरोपी का क्या संबंध है यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आरोपी के द्वारा विद्युत ऊर्जा बोरी किए जाने के संबंध में में गंभीर संदेह है।

- 12. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दांडिक मामलों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिए। जबिक प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी का मामला गंभीर दुर्वलताओं एवं संदेहों से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।
- 13. अतः उपरोक्त विवेचित एवं निष्कर्षित परिस्थितियों में परिवादी आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।
- 14. परिणामतः आरोपी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में आरोपी ने अपना स्वत्व नहीं दर्शाया है। अतः 16. जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०